रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219215 CG-DL-E-28042020-219215

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] No. 207] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

सं. 37/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 266(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है), के नियम 9 के खंड (ग) और नियम 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिसूचना संख्यांक 31/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 द्वारा बनाया गया, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 457(अ) तारीख 28 जून, 2019, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 21 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

1908 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

No. 37/2020-Central Tax

G.S.R. 266(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with clause (c) of rule 9 and rule 25 of the Central Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the rules), made *vide* notification No. 31/2019–Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 457(E), dated the 28th June, 2019, the Government, hereby appoints the 21st day of April, 2020, as the date from which the said provisions of the rules, shall come into force.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST] PRAMOD KUMAR, Director